अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 फरवरी, 2015

का.आ. 459(अ).—जबकि आयकर अधिनियम, 1961(1961 का 43) की धारा 35क ग के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के अंतर्गत जारी की गई भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, (राजस्व विभाग) की दिनांक 03.10.2011 की अधिसूचना सं. का.आ. 2302(अ) द्वारा केन्द्रीय सरकार ने "श्री चैतन्य सेवा ट्रस्ट, भक्तिवेदान्त अस्पाताल सृष्टि काम्प्लेक्स, भक्तिवेदांत स्वामी मार्ग, मीरा रोड (पू.) जिला थाने -401107 महाराष्ट्र" द्वारा 'बरसाना सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र परियोजना" की परियोजना को वित्तीय वर्ष 2013-14 को समाप्त होने वाली तीन वर्षों की अवधि के लिए 582.17 लाख रुपए की अनुमानित लागत पर एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में क्रम सं. 8 पर अधिसूचित किया था, और जिसे बाद में दिनांक 31.07.2014 की आधिसूचना सं. का.आ. 1977(अ) के तहत वित्तीय 2016-17 को समाप्त होने वाली तीन वर्षों की अवधि के लिए और बढ़ा दिया गया।

और जबकि 582.17 लाख की परियोजना लागत को 582.17 लाख रुपए के रूप में संशोधित किए जाने की संभावना है, जिसमें निर्माण, उपस्कर की लागत और 200 लाख रुपए सुविधा सृजन और 50 लाख रुपए की कार्पस निधि शामिल है।

और जबकि सामाजिक और आर्थिक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए राष्ट्रीय समिति का यह समाधान हो जाने पर कि उक्त परियोजना अथवा स्कीम उपयुक्त रूप से निष्पादित की जा रही है, इस समिति ने आयकर नियमावली, 1962 के नियम 11 ड के उप-नियम (5) के अंतर्गत उक्त परियोजना की लागत को 582.17 लाख रुपए, जिसमें निर्माण, उपस्कर की लागत और 200 लाख रुपए सुविधा सृजन और 50 लाख रुपए की कार्पस निधि शामिल है, करने की सिफारिश की है।

इसलिए, अब, केन्द्रीय सरकार, आयकर अधिनियम, 1961(1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के साथ पठित उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा दिनांक 03.10.2011 की उक्त अधिसूचना सं. सां. आ. 2302 (अ0) को निम्नलिखित आशय के लिए संशोधित करती है, नामत :

उक्त अधिसूचना में धारा 35 क ग के तहत कटौती के रूप में अनुमत की जाने वाली अधिकतम राशि से संबंधित क्रम. सं. (8), कालम (4) के सामने सारणी में, "582.17 लाख रुपए" अक्षरों, अंकों और शब्दों के लिए "582.17 लाख रुपए" जिसमें निर्माण और उपस्कर की लागत और 200 लाख रुपए सुविधा सृजन तथा 50 लाख रुपए की कार्पस निधि शामिल है" अंक और शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे।'

[सं. 89/2015/फा. सं. वी -27015/4/2014-**एसओ** (रा.स.)]

मक्खन लाल मीना, उप सचिव (राष्ट्रीय समिति)